न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

हरिसिंह गुर्जर पुत्र भोरया जाति गुर्जर उम्र 58 साल जनिवासी नीमरीपुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डुकावली तहसील मासलपुर जिला करौली (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) — प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हरिसिंह गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार ग्रा.पं. डुकावली तहसील मासलपुर प्रकरण संख्या 11 / 2020 निर्णय दिनांक 17.07.2020

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी की दुकान की जांच हेतु दिनांक 19.03.2020 को जांच कमेटी गठित की गई। जांच में अपीलार्थी द्वारा अपने मूल उपखण्ड करौली क्षेत्र के बाहर हिण्डौन उपखण्ड के राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करना, अपने स्वयं के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखना, 7.18 क्विं. चीनी का दुरुपयोग करना, आदि अनियमितताएं पायी जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 17.07. 2020 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून, रूयेदाद मिसल, लायके मंसूख है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सही रूप से अवलोकन न कर निर्णय करने में भूल की है। अपीलाण्ट के विरुद्ध गलत तथ्यों पर शिकायत की थी, गवाहों के बयान भी गलत दर्ज किये हैं जो अपीलाण्ट के समक्ष नहीं हुए हैं। कानून में उक्त बयानों को पढ़ा नहीं जा सकता। जांच रिपोर्ट भी गलत बनाई है। मौके पर 7. 18 क्विं. चीनी थी लेकिन जांच रिपोर्ट में दर्ज नहीं क। 7.18 क्विं. चीनी संबंधित कंवरसिंह डीलर को सुपुर्दगी में अपीलाण्ट द्वारा दे दी गई है। फिर भी अदालत मातहत ने लाईसेन्स निरस्त करने में भूल की है। राशन प्रवर्तन निरीक्षक के आदेशानुसार लॉक डाउन के समय में कोई भूखा नहीं रहे, उक्त राशन दे दिया जावे जिनके आदेशानुसार मौखिक आदेशानुसार दूसरे उपखण्ड में उपभोक्ताओं को राशन दिया गया था। राशन का कोई गबन नहीं किया गया है। राज्य सरकारों के परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के मुताबिक मामूली त्रुटि में लाईसेन्स निरस्त नहीं करना चाहिये। प्रार्थी वृद्ध पुरुष है। प्रार्थी के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। लाईसेन्स निरस्त होने पर प्रार्थी बेरोजगार हो जावेगा और प्रार्थी के बच्चों की भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अपील अन्दर मियाद पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:13:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि ग्राम सकरघटा ग्राम पंचायत डुकावली के ग्रामवासियों की शिकायत पर अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 19.03.2020 को जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा दिनांक 21.04.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें राशन डीलर का उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना एवं राशन डीलर द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर पोर्टेबिलिटी सुविधा का दुरुपयोग कर अपने वितरण क्षेत्र के बाहर जाकर अन्य उपखण्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण कर स्वयं की मूल ग्राम पंचायत डुकावली के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री से वंचित रखने संबंधी अनियमितताऐं करने पर दिनांक 21.04.2020 को अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। जांच दल द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 30.04. 2020 को प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार शिकायतकर्ताओं के 2–3 दिन लगातार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर जाने के उपरांत भी अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा माह अप्रैल 2020 के अतिरिक्त आवंटित गेंहूं के स्टॉक को समाप्त बताया जाकर शिकायतकर्ताओं को नहीं दिया गया। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त गेंहूं मूल उपखण्ड करौली को छोड़कर हिण्डौन उपखण्ड के उपभोक्ताओं को वितरित किया गया। निलंबन उपरांत कार्यालय अभिलेख के आधार पर अपीलार्थी की राशन दुकान पर कुल 243 क्विं. गेंहू (अवशेष नियमित स्टॉक 63.58 क्विं., अप्रैल अतिरिक्त आवंटन 7 किलोग्राम, माह मई 2020 की नियमित आमद 86.03 क्विं. एवं माह मई 2020 की अतिरिक्त आमद 93.32 क्विं.), केरोसीन 00 लीटर एवं चीनी 9.74 क्विं. उपलब्ध होनी चाहिये थी। भौतिक सत्यापन पर गेंहूं व केरोसीन का स्टॉक सही पाया गया जो अटैच राशन डीलर को सुपुर्द कर दिया गया। परंतु मौके पर चीनी नहीं पायी गई राशन डीलर द्वारा 7.18 क्विं. चीनी को अतिरिक्त चढ़ी हुई बताया जिसके संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया और ना ही उक्त 7.18 क्विं. चीनी अटैच डीलर को हस्तांतरित की गई। यदि बाद में यह चीनी अटैच डीलर को हस्तांतरित कर भी दी गई होगी तो उसकी सूचना ना तो अपीलार्थी द्वारा विभाग को दी गई है और यह 'बाद की सोच' से प्रेरित है। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 7.18 क्विं. चीनी का दुरुपयोग किया गया है। अपीलार्थी राशन डीलर के निलंबन उपरांत अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर बिना साक्ष्य व सबूत के अपना जवाब पेश किया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन प्राधिकार पत्र विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच करके दिनांक 20.04.2020 को जांच रिपोर्ट एवं पुनः 30.04.2020 को विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी द्वारा अपने क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को माह अप्रेल 2020 के अतिरिक्त आवंटित गेंहूं का वितरण नहीं किया जाकर अपने मूल उपखण्ड करौली के बाहर हिण्डौन उपखण्ड क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया है जिसे स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का दुरुपयोग किया गया है। अपने क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को राशन सामग्री की पूर्ति होने के उपरांत ही अन्य क्षेत्र के राशन उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की दुकान के भौतिक सत्यापन के समय अपीलार्थी की राशन दुकान पर 7.18 क्विं. चीनी उपलब्ध नहीं थी जिसे अटैच डीलर को सुपुर्द करना बताया है लेकिन सुपुर्दगी पत्र में किसी तारीख का अंकन नहीं है जिससे उसकी सुपुर्दगी तारीख विदित नहीं होती है। विभाग को भी चीनी के सुपुर्दगी के संबंध में अवगत नहीं करवाया गया है और यह 'बाद की सोच' विदित होती है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 7.18 क्विं. चीनी का दुरुपयोग किया गया पाया कि गंभीर अनियमितता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:13:14 IST
Reason: SelfAttested

है। अपीलार्थी के निलंबन उपरांत सुनवाई हेतु जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित भी हुआ है तब भी अपीलार्थी द्वारा कम पाई राशन सामग्री व अन्य अनियमितताओं के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः हम अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:13:14 IST
Reason: SelfAttested